

# पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव



(कृषि एवं उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित)

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा, नमी आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अपेक्षित फसल होने के कारण बीमित कृषकों की कठिनाई को कम करना है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम के मापदंडों का उपयोग "फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी" के रूप में करती है, जो कि फसल के नुकसान की भरपाई के लिए काश्तकारों को मुआवजा देती है। पेआउट संरचनाओं को मौसम के ट्रिगर का उपयोग करके होने वाले नुकसान की सीमा तक विकसित किया गया है।

इसतरह, यह योजना कृषकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रही है और उन्हें नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके खेती में निरंतरता सुनिश्चित कर रही है।

**इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है**

बटाईदार और काश्तकार सहित सभी कृषक अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने के लिए करवरेज के पात्र हैं। हालांकि, कृषकों को अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमापात्र हित होना चाहिए। ऋणदाता कृषकों सहित सभी कृषकों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है। सभी कृषक जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों आदि) से मौसमी कृषि संचालन ऋण/लोन लिया है और उन्होंने कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले योजना के ऑफ्ट आउट का विकल्प नहीं चुना है, अपने वित्तीय संस्थानों के स्कीम के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगे।

**अधिसूचित मौसम में कवर किये गए जोखिम:**

निम्न जोखिमों को याजना के तहत कवर किया जाता है:

- 1) कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अभाव/लगातार शुष्क दिन
- 2) तापमान-उच्च तापमान
- 3) सापेक्ष आर्द्रता
- 4) पवन की गति
- 5) उपरोक्त 1 से 4 तक का संयोजन

**उपर्युक्त जोखिमों को राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट निबंधन पत्र (टर्म शीट)**

विभिन्न फसलों की उत्पाद संरचनाएं, संदर्भ इकाई क्षेत्र और संदर्भ मौसम स्टेशन आधार पर अधिसूचित किया गया है।

**योजना में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज:**

- आधार कार्ड की प्रति।
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म।
- नवीनतम खसरा/खतोनी आदि की प्रतिलिपि।
- कृषक द्वारा स्वघोषित बुवाई प्रमाण-पत्र
- किरायेदार किसानों के लिए लागू अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति।
- IFSC नंबर और बैंक खाता संख्या या रद्द किए गए चेक की बैंक पासबुक की प्रति।

**बीमा दावे का आंकलन एवं भुगतान:**

- अधिसूचित संदर्भ मौसम स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मौसम के आंकड़ों के आधार पर ही दावों का मूल्यांकन किया जाएगा और राज्य और केंद्र सरकार की पूर्ण सब्सिडी प्राप्ति एवं प्रमाणित मौसम डेटा प्राप्त होते ही दावे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- दावा मूल्यांकन बीमा अवधि पत्रक भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के मामले में एक RUA में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी बीमित कृषकों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के समान स्तर और फसल के नुकसान के समान अनुपात का सामना करना पड़ता है और दावों की समान दर के लिए पात्र हो जाते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टर्म शीट के अनुसार दावों का मूल्यांकन फसल-वार और वेदर स्टेशन वार किया जाता है।



अधिसूचित जिलें: गाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र

मौसम	अधिसूचित फ़सल	अधिसूचित जिलें	नामांकन की अंतिम तिथि
रबी	आम	वाराणसी	15 दिसंबर, 2020
रबी	हरी मटर	गाज़ीपुर, वाराणसी	14 दिसंबर, 2020
रबी	टमाटर	गाज़ीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर	30 नवंबर, 2020

उद्यानिक फसलों हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम अंश - 5%

मौसम	अधिसूचित फ़सल	बीमित राशि (रु./हेक्ट.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु./हेक्ट.)
रबी	आम	70000	3500
रबी	हरी मटर	70000	3500
रबी	टमाटर	50000	2500

ईमेल: [pmfby.up@hdfcergo.com](mailto:pmfby.up@hdfcergo.com)

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए,  
कृपया कॉल करें: टोल फ्री नं.:



**1800 2660 700 /**  
**1800 889 6868**

गैर-ऋणी कृषक निकटतम वित्तीय संस्थान/बैंक के माध्यम से अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / बीमा मध्यस्थ / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) / कृषक स्वनामांकन हेतु वेबसाइट लिंक के माध्यम से: <https://pmfby.gov.in/farmer>